[23/12/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 2091]

परिशिष्ट ''अ''

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक– 2091

सरल कमांक	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ	योजना के अन्तर्गत प्रदाय की जाने वाली पेंशन राशि
1	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाल 60 से 79 वर्ष के हितग्राहियों को केन्द्रांश मद से रुपये 200/– तथा राज्यांश मद से रुपये 400/– सम्मिलित कर रुपये 600/– एवं 80 वर्ष अधिक आयु के हितग्राहियों को केन्द्रांश मद से रुपये 500/– तथा राज्यांश मद से रुपये 100/– सम्मिलित कर रुपये 600/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
2	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा महिलाओं को भारत सरकार के केन्द्रांश मद से रुपये 300/– तथा राज्यांश मद से रुपये 300/– सम्मिलित कर रुपये 600/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।
3	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाान्तर्गत गरीबी रेखा के नीची जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष आयु समूह के निःशक्तो को भारत सरकार के केन्द्रांश मद से रुपये 300/– तथा राज्यांश मद से रुपये 300/– सम्मिलित कर रुपये 600/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

सरल कमांक	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ	योजनान्तर्गत प्रदाय की जाने वाली पेंशन राशि
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाए, 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएँ, 6 से 18 वर्ष आयु के दिव्यांग जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है को दी जाने वाली पेंशन दिनांक 1 सितम्बर, 2016 से ''दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि'', 18 से 59 वर्ष आयु के दिव्यांग जो आयकर दाता न हो जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक वृद्धजन, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजनानतर्गत न्यूनतम 50 वर्ष या अधिक की हो, इस प्रकार उपरोक्त समस्त हितग्राहियों को रूपये 600/– प्रतिमाह मासिक पेंशन प्रदाय किये जाने का प्रावधन है।
2	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	ऐसे दंपत्ति (पति/पत्नी दोनों में से एक की आयु 60 वर्ष होने पर) जिनकी आयु 60 वर्ष हो जो आयकरदाता न हो तथा जिन्हें संतान के रुप में मात्र बेटी/बेटियॅा हो, को रुपये 600/–प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन प्रदाय किये जाने का प्रावधान है ।
3	मानसिक/बहुविकलांगो को आर्थिक सहायता	छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता रुपये 600/–प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

उप संचालक

वास्ते संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.